



सी.एस.आई.आर.-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)  
सेक्टर 10, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 031 (भारत)  
**CSIR - Central Drug Research Institute**  
(Council of Scientific & Industrial Research)  
Sector 10, Janakipuram Extension, Sitapur Road, Lucknow - 226 031 (India)



**वैज्ञानिक भर्ती**

**विज्ञापन संख्या 09/2024**

ऑनलाइन आवेदन के लिए यूआरएल: <https://cdri.res.in/092024>

या

<https://cdri.res.in> पर 'वैज्ञानिक भर्ती 09/2024' लिंक पर जाएं

### **SCIENTIST RECRUITMENT**

Advertisement No - **09/2024**

URL for Online Application: <https://cdri.res.in/092024>

OR

Access link 'SCIENTIST RECRUITMENT- 09/2024' on <https://cdri.res.in>

ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि: सोमवार, 6 जनवरी, 2025, 10:00 बजे से, भारतीय मानक समय  
Start Date for Registration for Online Application: Monday, 6 January, 2025, 10:00 Hrs IST

पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: सोमवार, 17 फरवरी, 2025, 23:59 बजे तक, भा० मा० स०  
Last Date for Registration & Submission of Online application: Monday, 17 February, 2025, 23:59 Hrs IST

**औषधि, फार्मास्यूटिकल्स और बायोमेडिकल अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कैरियर के लिए एक अनूठा अवसर**

**A unique opportunity for research career in Science & Technology in the area of Drugs, Pharmaceuticals and Biomedical Research**

सीएसआईआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख संस्थान है जो बुनियादी और व्यावहारिक प्रकृति के बहुविषयक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में शामिल है। सीएसआईआर-सीडीआरआई भारत में एक अग्रणी जैव चिकित्सा अनुसंधान संगठन है और इसके पास अवधारणा से लेकर व्यावसायीकरण तक दवा विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता है। वर्ष 2012 में, सीएसआईआर-सीडीआरआई अपने अत्याधुनिक नए परिसर में स्थानांतरित हो गया, जिसे नई दवा की खोज और विकास में सीएसआईआर के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है। लगभग 61 एकड़ में फैले इस परिसर में अनुसंधान एवं विकास परिसर, सहायता सेवाएँ, अतिथि गृह, छात्रावास और कर्मचारी आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया <http://www.cdri.res.in> को देखें।

CSIR-Central Drug Research Institute, Lucknow, a premier Institute under Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), is involved in multidisciplinary R&D programs of both basic and applied nature. CSIR-CDRI is a pioneer biomedical research organization in India and has the infrastructure and expertise to develop a drug from concept to commercialization. In the year 2012, CSIR-CDRI shifted to its state-of-the-art new campus, which has been set up with a vision to serve as a Nodal Center of CSIR in new drug discovery and development. Spread across ~61 acres, it houses an R&D Complex, Support Services, Guest House, Hostel and Staff Quarters. Please visit <http://www.cdri.res.in> for further information.

फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, प्रयोगशाला पशु सुविधा (लैब एनिमल फैसिलिटी), परजीवी जीवविज्ञान (पैरासाइट बायोलॉजी), अंतःसाव-विज्ञान (एंडोक्राइनोलॉजी) कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान, औषधीय प्रक्रिया रसायन विज्ञान (मेडिसिनल प्रोसेस केमेस्ट्री), विषविज्ञान और प्रायोगिक चिकित्सा (टॉक्सिकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन) एवं परियोजना प्रबंधन (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) के क्षेत्रों का विस्तार करने और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, संस्थान उत्साही, प्रतिभाशाली युवा शोधकर्ताओं / पेशेवरों की तलाश कर रहा है, जिनके पास उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड, प्रमाणित वैज्ञानिक उपलब्धियाँ और राष्ट्रीय मिशनों के साथ जुड़े संस्थान के अधिदेश के अनुसार अनुसंधान करने का उत्साह हो। उत्पाद विकास / प्रौद्योगिकी नवाचार / व्यावहारिक प्रौद्योगिकी / ट्रांसलेशनल अनुसंधान में शामिल अभ्यर्थियों को उचित भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। वैज्ञानिकों के लिए लचीली पूरक योजना (फ्लेक्सिबल कम्प्लीमेंटिंग स्कीम) के अनुसार ये पद करियर के विकास के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करते हैं।

With the aim to expand and strengthen the areas of Pharmaceutics and Pharmacokinetics, Lab Animal Facility, Parasite Biology, Endocrinology, Computational Chemistry, Medicinal Process Chemistry, Toxicology and Experimental Medicine & Project Management, the Institute is looking for enthusiastic, talented young researchers / professionals with brilliant academic record, proven scientific achievements and zeal to conduct research as per the mandate of the Institute aligned with National Missions. Due weightage will be given to the candidates involved in the product development/ technology innovation/applied technology / translation research. The positions offer exciting opportunities for career growth as per the Flexible Complementing Scheme for Scientists.

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले प्रेरित युवा भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मानदंडों के अनुसार विभिन्न पदों के लिए पारिश्रमिक और आयु सीमा का विवरण नीचे दिया गया है: -

Applications are invited from motivated young Indian Nationals with requisite qualification and experience for the following posts as per the details given below. The emoluments and age limit for various posts as per norms is summarized as below: -

Designation	No. of Posts	Pay Level	Basic	*Total Emoluments	**Upper Age Limit not exceeding (as on 17.02.2025)
Scientist	18 (SC-3, ST-1, OBC-5, EWS-1 & UR-8)	11	Rs. 67700/-	Rs. 127766/- (Approx.)	32 years

यूआर: अनारक्षित; एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग;

UR: Unreserved; SC: Scheduled Caste; OBC: Other Backward Class; EWS: Economically Weaker Section;

\* लखनऊ शहर में टी ए/ डी ए तथा मकान किराया भत्ता सहित न्यूनतम वेतनमान पर अनुमानित कुल परिलब्धियां।

\* Approximate total emoluments on minimum of scale including TA, DA and House Rent Allowance in Lucknow City.

\*\*कृपया Serial No. 3(आयु सीमा एवं छूट ) का अवलोकन करें।

\*\*Please see Sl. No. 3 (age limit & relaxation)



Post Code	Area	Post Designation	No of Posts & Reservation	Age Limit & Emoluments	Essential Educational Qualifications & Experience	Desirable qualification and Experience &	Job requirement/ Specification #
001	Pharmaceutics and Pharmacokinetics Division	Scientist	2 (1-OBC & 1 UR)	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	Ph.D. (Submitted) in the area of Pharmaceutical Sciences or equivalent.	<p><b>Experience in the area of development and validation of HPLC and LC-MS/MS analytical and bioanalytical methods of APIs/formulations, Pharmacokinetic studies, metabolite identification and bio-distribution; PK/PD modelling for early drug discovery and development program, animal handling and thorough understanding of drug delivery.</b></p> <p><b>Master level course work in formulation development and Pharmacokinetics achieving proficiency in drug delivery, HPLC and LC-MS/MS analytical/bioanalytical methods and PK studies.</b></p> <p><b>A record of peer reviewed publications in SCI journals and/or patents demonstrating expertise in Pharmacokinetic studies.</b></p>	The candidate will be responsible for development and validation of analytical and bioanalytical methods for APIs/formulations from blood/plasma/serum/tissue samples, design and conduct of pharmacokinetics studies in rodents and non-human primates, pharmacokinetic modeling, metabolite identification, in vitro ADME studies, <b>development of formulations and delivery systems in line with CDRI mandate and provide support for drug discovery projects.</b>
002.	Medicinal Chemistry	Scientist	5 (1-EWS, 1-ST, 1-OBC & 2-UR)	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	Ph.D. (Submitted) in the area of Chemical Sciences/ Medicinal Chemistry or equivalent	Experience in synthetic methodologies designing of chemical compounds for biological activity against disease-prioritized targets and	Design and synthesize novel chemical compounds to optimize potency, selectivity, pharmacokinetic

						<p>their synthesis. Experience in the use of in silico modeling tools for hypothesis-driven design of novel compounds and exploration of structure-activity relationships. Experience in structural determination using spectroscopic techniques as well as knowledge of related purification methods. A record of publications and/or patent applications demonstrating proficiency in synthetic chemistry/ medicinal chemistry</p>	<p>tics, and in vivo efficacy. Analyze the data sets to generate structure-activity relationships within the chemical library. Interface with biological and pharmacological collaborators in the testing and development of interesting compounds. The candidate is expected to take up teaching assignments in Pre-PhD courses too. Candidates are expected to write R&amp;D projects in the respective areas for extramural funding</p>
003.	<b>Medicinal Chemistry</b>	Scientist	1-UR	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	PhD (submitted) In the area of Organic Chemistry/ Medicinal Chemistry or equivalent.	<p>Experience in methods of synthetic and medicinal chemistry. Experience in designing and synthesizing PROTACs for therapeutic applications. A record of publications and/or patent applications demonstrating proficiency in PROTAC design and synthesis.</p>	<p>Apply state-of-the-art Med Chem approaches to synthesize PROTAC molecules towards a broad spectrum of diseases, including immune-oncology, inflammation, and neurodegeneration such as Alzheimer's and Parkinson's diseases. The candidate is expected to take up</p>

							teaching assignments in Pre-PhD courses too. Candidates are expected to write R&D projects in the respective areas for extramural funding
004	<b>Medicinal Chemistry</b>	Scientist	1-UR	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	Ph.D. (Submitted) in the area of Chemical Sciences/ Medicinal Chemistry or equivalent.	Experience in the area of ADC development, generation, optimization and characterization of antibody-drug conjugates. Experience in purification using liquid chromatography methods. A record of publications and/or patent applications demonstrating proficiency in ADC development.	Design small molecules for lead discovery and optimization with a focus on intermediates for antibody-drug conjugates. Create and perform conjugations between proteins and small molecules. Carry out the antibody and conjugate validation via various functional tests. Carry out biophysical characterization of proteins and conjugates. The candidate is expected to take up teaching assignments in Pre-PhD courses. Candidates are expected to write R&D projects in the respective areas for extramural funding.
005	<b>Computational Chemistry</b>	Scientist	2	Age limit: 32	Ph.D. (Submitted) In	Experience in Computational chemistry	Initiate development of new

			(1-UR & 1-SC)	Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	the area of computational Chemistry/Molecular Biophysics or related area with focus on Cheminformatics/pharmacoinformatics or equivalent.	methodologies (structure- and ligand-based approaches & virtual screening, reaction modeling and computer assisted synthesis planning), AI & ML usage in drug discovery space. Experience in molecular dynamic simulations, QSAR and toxicity predictions, free energy calculation, force field development, density functional theory, quantum chemistry, and hybrid QM/MM simulation. Experience in Chem-Informatics toolkits and packages (e.g. Schrodinger, Discovery Studio, ChemAxon etc), Proficiency in working in a Unix/Linux environment. Competency. Experience in programming, code development, and software architecture. A record of publications and/or patent applications demonstrating proficiency in Computational Chemistry.	models, algorithms and methodologies to align with the latest developments in the field. Collaborate with colleagues in medicinal chemistry and other teams for providing scientific knowledge obtained through molecular modelling, supporting small molecule drug discovery. Identify areas of application for AI in Chemistry and related Lifesciences, and develop novel algorithms to drive data-driven drug discovery.
006	<b>Microbial Infection</b>	Scientist	1-OBC	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	Ph.D. (Submitted) In the area of Microbiology/Biotechnology/Life Sciences	1.Ph. D. with M. Sc. In Microbiology/Biotechnology/Life Sciences 2. Postdoctoral experience 3.Experience of working with clinical/resistant microbial strains in BSL-2 and/or BSL-3 facility. 4. Experience in animal models,	The candidate is expected to carry out research in the area of Microbial Infections employing in vitro systems and animal models (using BSL-3/BSL-2 facilities) to understand disease pathogenesis.

						<p>molecular microbiology, microbial genetics, genome/RNA sequencing, Drug screening, mechanistic studies and data analysis as evidenced by publications in peer reviewed SCI journals.</p>	<p>The focus will be on ESKAPE pathogens or Mycobacterium. The candidate will also be expected to run target based or mechanism driven drug discovery programs for the identification of antimicrobial hits and leads.</p>
007	<b>Animal Genetics and Breeding</b>	Scientist	1-OBC	<p>Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC</p>	<p>M.V.Sc in the area of animal genetics and animal breeding.</p>	<p>PhD in the area of animal genetics and animal breeding. Experience in breeding and maintenance of rodent / non-rodent colonies / transgenic animals / embryo cryopreservation and rederivation techniques.</p>	<p>The incumbent is expected to plan and execute the breeding programme of rodents and non-rodents. The incumbent should also look after the daily management of the laboratory animal facility, participate in health monitoring of animals and experimentation.</p>
008.	<b>Reproductive Biology (Male Reproduction)</b>	Scientist	1-UR	<p>Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC</p>	<p>MD/MVSc. In Life Science or Ph. D. (submitted) in Life Science</p>	<p>Experience in unraveling the molecular mechanisms regulating male / female reproductive biology. Molecular processes underpinning regulatory signaling mechanisms in spermatogenesis and contraception.</p> <p>A record of publications and/or patent applications</p>	<p><b>Planning and execution of basic and translational research projects in the area of male reproductive biology including cell biology, cell signaling, contraception and</b></p>

						demonstrating proficiency in the field.	<b>development &amp; validation of novel <i>in vitro</i> and animal models in the area.</b>
009.	<b>Reproductive Biology (Female Reproduction)</b>	Scientist	1-OBC	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	MD/MVSc. In Life Science or Ph.D. (submitted) in Life Science	<p>Experience in areas of Ovarian biology (Ovulation, Fertilization, Endocrinology, etc.), Endometrial biology (Preimplantation and post-implantation biology), placental biology: (placental development), Female contraception and exposure to transgenic mice handling.</p> <p>Experience in probing molecular signaling pathways and cellular interactions relevant to female reproductive biology.</p> <p>A record of publications and/or patent applications demonstrating proficiency in in the field.</p>	<b>Planning and execution of basic and translational research projects in the area of female reproductive biology including cell biology, signaling, contraception and development &amp; validation of novel <i>in vitro</i> and animal models in the area.</b>
010	<b>Toxicology and Experimental Medicine</b>	Scientist	2 (1-UR & 1-SC)	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	<p>Ph.D. (submitted) in the area of Toxicology/ Biochemistry/ Zoology)</p> <p><b>OR</b></p> <p>MD in Pathology/ Pharmacology/ Toxicology</p> <p><b>OR</b></p> <p>MVSc. In Pharmacology &amp; Toxicology</p>	<p><b>Experience in toxicity evaluation protocols required for development of NCEs and biologicals, handling of rodents and other laboratory animals.</b></p> <p>A record of publications in peer-reviewed SCI journals demonstrating proficiency in <u>drug development/toxicology</u>.</p>	Planning and execution of preclinical studies in rodents and non-human primates in a GLP Environment <b>and supporting drug discovery projects.</b>
011	<b>Project Management</b>	Scientist	1-SC	Age limit : 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	Ph.D. (submitted) in the area of Life Sciences or Chemical Sciences or Pharmaceutical	<b>Project Management or Research Management Fellowship or experience in Project/R&amp;D/</b>	<p>* Coordination of planning of R&amp;D Programs.</p> <p>* Monitoring, risk</p>



					Sciences or equivalent	<b>Research Management in the CSIR/ DBT/DST/DRDO Organizations/ Institutes/ Pharma Industries</b>	management, and reporting of institutional, national and international projects/ Programs being implemented ;  * Preparation of institutional reports, publications, and technical documents;  *Pre-Grant and Post-Grant Management as per standard practices/guidelines of national and international funding agencies  * Any tasks assigned in the area of S&T Management.
--	--	--	--	--	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**सामान्य जानकारी और शर्तें**  
**General Information and Conditions**

**1) परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:**

**Benefits under Council service:**

- I. इन पदों पर सामान्य भत्ते जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं और जैसा कि सीएसआईआर कर्मचारियों को तैनाती के स्थान पर लागू होते हैं जैसे कि महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि प्राप्त होंगे। परिषद के कर्मचारी सीएसआईआर आवास आबंटन नियम के अधीन उपलब्धता के आधार पर आवास के हकदार भी हैं। यदि परिषद का आवास या सरकारी आवास का उपयोग किया जाता है, तो एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा।

These posts carry usual allowances i.e., Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA) etc. as admissible to the central government employees and as made applicable to CSIR employees at the place of posting. Council employees are also entitled to accommodation according to the CSIR Residence Allotment Rules, subject to availability. If council or government accommodation is utilized, HRA will not be provided.

- II. प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए दर्शाई गई परिलब्धियों के अतिरिक्त, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और बच्चों की शिक्षा भत्ते आदि जैसे लाभ भी सीएसआईआर/भारत सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं, जो परिषद कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

In addition to the emoluments indicated against each category of posts, benefits such as reimbursement of Medical Expenses, Leave Travel Concession and Children's Education Allowances etc. are also available as per CSIR/Govt. of India (GoI) Rules as applicable to the Council Servants.

- III. चयनित अभ्यर्थियों को सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए परिभाषित अंशदान के आधार पर 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' या विद्यमान पेंशन प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

The selected candidates will be governed by the 'National Pension System' or Extant Pension System based on defined contributions as adopted by CSIR for its employees.

- IV. सीएसआईआर समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार, वैज्ञानिकों के लिए मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों को करियर में उन्नति के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

CSIR provides excellent opportunities to deserving candidates for career advancement under Assessment Promotion scheme for Scientists, as per rules as amended from time to time.

- V. योग्य उम्मीदवारों को सीएसआईआर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए विचार किया जा सकता है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन है।

Deserving candidates may be considered for advance increments based on recommendations of the Selection Committee, subject to acceptance by the Competent Authority, in accordance with the provisions outlined in the CSIR Recruitment and Promotion Rules.

- VI. सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा )आचरण (नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा )वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील (नियम, 1965, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मौलिक और पूरक नियम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य नियम और आदेश परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

In regard to all the matters concerning service conditions of employees of the Society, Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the Fundamental and Supplementary Rules framed by the Govt. of India and such other rules and orders issued by the Govt. of India from time to time shall apply to the extent applicable to the employees of the Council.

- VII. सभी पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व) एआईएसएल (लागू होगा, अर्थात् चयनित होने पर उम्मीदवार को देश में कहीं भी सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

All the posts carry All India Service Liability (AISL) i.e. the candidate on selection may be asked to serve anywhere in the country.

**2) अन्य शर्तें:**

**Other conditions:**

- a. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।  
The applicant must be a citizen of India.

- b. सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पद की आवश्यक आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके पास उस पद के लिए आवश्यक योग्यता/अनुभव है जिसके लिए वे अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। पात्रता के बारे में पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

All applicants must fulfill the essential requirements of the post and other conditions specified in the advertisement by the last date of receipt of online application. Applicants are advised to ensure that they possess the essential qualifications/experience for the post(s) against which they are submitting their application(s). Inquiries regarding eligibility will not be entertained.

- c. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव न्यूनतम हैं तथा ये संबंधित पोस्ट कोड के सामने उल्लिखित क्षेत्र में होनी चाहिए। निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव रखने मात्र से उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी। इसलिए आवेदकों को अपने आवेदन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त सभी प्रासंगिक/संगत जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जो उचित दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारी पूर्ण और सटीक है। पीएचडी )प्रस्तुत (के साथ पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपने शोध प्रबंध जमा करने की तिथि का वैध दस्तावेजी प्रमाण शामिल करें। पीएचडी/मास्टर्स डिग्री की पूर्णता को अनंतिम प्रमाण पत्र/परिणाम की अधिसूचना/ अवार्ड किए जाने की तिथि,

जारी होने की तिथि जैसा भी मामला हो, से माना जाएगा। उम्मीदवारों को जहां भी लागू हो, पीएचडी थीसिस/एम.टेक शोध प्रबंध का एक पृष्ठ का सारांश/सार अपलोड करना आवश्यक है।

The prescribed essential qualifications/experience are minimum and should be in the area as mentioned against respective post code. Mere possession of the prescribed essential qualifications/experience does not entitle candidates to be called for the interview. Duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short-listing the candidates for interview. Applicants should therefore provide all relevant information over and above the prescribed minimum qualification in their application, supported by appropriate documentation. Candidates must ensure that all information is complete and accurate. Candidates applying for the position with a Ph.D. (submitted) are advised to include valid documentary proof of their thesis submission date, issued by the appropriate authority of their University/Institution. Completion of Ph.D/Masters Degree will be reckoned from the date of issue of Provisional Certificate/Notification of Result / Awarded Date, as the case may be. The candidates are required to upload one page Synopsis/ Abstract of Ph. D thesis/ M.Tech dissertation, wherever applicable.

- d. वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत आवेदकों को अपने विभाग या कार्यालय को सूचित करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपने नियोक्ता से “अनापत्ति प्रमाण पत्र) ”एनओसी (अपलोड करना होगा )संलग्न प्रारूप के अनुसार(, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

Applicants currently working in CSIR/ Government Organizations /Autonomous Bodies/ Statutory Bodies/Universities/PSUs etc., as regular employee must inform their department or office and upload a “No Objection Certificate” (NOC) from their employer at the time of submitting the online application (as per attached format), failing which their candidature will NOT be considered.

- e. बिना विधिवत भरे या बिना अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के अपलोड किए गए आवेदनों को पूर्णतया खारिज /अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Applications not duly filled or uploaded without required certificates / documents will be summarily rejected.

- f. उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन केवल ऑनलाइन आवेदन में दिए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत की है; चयन के बाद भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और सीएसआईआर ऐसी झूठी/गलत जानकारी प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सटीक और सही है।

The screening and selection of candidates will be conducted on the basis of the documents and information provided in the online application only. If at any stage it is discovered that a candidate does not meet the prescribed eligibility criteria or has submitted incorrect or false information in the application form; their candidature will be cancelled, even after selection and CSIR-CDRI will not be responsible for any consequences resulting from the submission of such false/inaccurate information. Therefore, the candidates must ensure that all information provided in the online application are accurate and correct.

- g. यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में निर्दिष्ट योग्यता के बराबर योग्यता का दावा करता है, तो उसे एक आदेश/अधिसूचना या पत्र प्रदान करना होगा जिसमें उस प्राधिकारी )संख्या और दिनांक सहित (का उल्लेख हो जो इस समतुल्यता को मान्यता देता है। ऐसे दस्तावेज प्रदान न करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। योग्यता की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

If a candidate claims a qualification as equivalent to those specified in the advertisement, they must provide an order/notification or letter indicating the authority (including number and date) that recognizes this equivalence. Failure to provide such documentation may result in the rejection of the application. The decision of the competent authority of CSIR concerning the equivalence of qualifications and the recognition of Universities/Institutes shall be final and binding.

h. किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी निर्धारित हो, न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद गिनी जाएगी।

The period of experience in a discipline/ area of work, wherever prescribed, shall be counted after the date of acquiring the minimum prescribed educational qualifications.

i. यदि कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन के साथ हिंदी या अंग्रेजी में authorise स्व-सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

If any document or certificate is in a language other than Hindi or English, a self-attested authorised transcript in Hindi or English is to be submitted with the application.

j. ऊपरी आयु सीमा, योग्यता और/या अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी।

The date for determining the upper age limit, qualifications and /or experience shall be the closing date prescribed for submission of online applications i.e. last date of submission of online application.

k. भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयु सीमा में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि पद उनके लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

Persons with benchmark disabilities (PwBD) fulfilling the eligibility conditions prescribed under GOI instructions are encouraged to apply. Relaxation in age limit shall be applicable irrespective of the fact whether the post is reserved for them or not, provided the post is identified suitable for the Persons with Benchmark Disabilities.

l. यदि कोई उम्मीदवार विदेश में रह रहा है, तो वह ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल होने का अनुरोध कर सकता है या चयन समिति द्वारा अनुपस्थिति के दौरान उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सकता है। यह अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

If a candidate is residing abroad, they may request to attend the interview online or have their candidature considered *in-absentia* by the Selection Committee. This request must be submitted in writing. However, the decision of the appointing authority in this regard shall be final and binding.

m. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए और योग्य पाए गए केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही यात्रा के वास्तविक स्थान से या उनके निवास के सामान्य स्थान से जो भी साक्षात्कार के स्थान के नजदीक हो, आने-जाने के लिए एकल द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि वे नियमानुसार रेल टिकट/रेल टिकट संख्या या भारत के भीतर की गई यात्रा का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करें। रेल द्वारा न जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क यात्रा के लिए, इस विषय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, दस्तावेजी प्रमाण (बस टिकट) प्रस्तुत करने पर वास्तविक बस

किराया या सबसे कम दर पर रोड माइलेज की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

Only outstation candidates called and found eligible for interview may be paid single to and fro second-class rail fare from the actual place of undertaking the journey or from the normal place of their residence whichever is nearer to the place of interview on production of Rail Tickets/Rail Ticket Numbers or any other proof of journey performed within India, as per rules. For road journeys between stations not connected by rail, the actual bus fare or road mileage at the lowest rate, may be reimbursed on production of documentary proof (bus tickets), as per Gol instructions on this subject.

n. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जब तक कि वैध दस्तावेजों/शपथपत्र द्वारा समर्थित न हो। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी।

Any discrepancies between the information provided in the application and the original documents will render the candidate ineligible unless supported by valid documents/ affidavit. In such cases, the candidate will also not receive reimbursement for travel fare.

o. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन से संबंधित सभी मामलों में उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में उम्मीदवार की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। The decision of the Appointing Authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, conduct of examination/interview will be final and binding on the candidates. No enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency on behalf of the candidate.

p. किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

Canvassing in any form and / or bringing any influence political or otherwise will be treated as a disqualification for the post.

प्रत्येक श्रेणी/पद के लिए दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा चयन के समय इसमें परिवर्तन हो सकता है।

The number of vacancies indicated against each category/post is provisional and may vary at the time of selection.

q. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष मार्कशीट/प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार/मंजूर नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मार्कशीट में जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है, तो जन्मतिथि दर्शाने वाले स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।

Date of Birth filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the Matriculation/10th Standard or equivalent mark-sheet/certificate indicating date of birth will be accepted for determining the age and no subsequent request for change will be considered /granted. Where date of birth is not available in certificate/ mark sheets, issued by concerned Educational Boards, School leaving certificate indicating Date of Birth will be considered.

r. नियुक्ति प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा यदि आवश्यक हो तो किसी भी या सभी पदों को न भरने का निर्णय भी ले सकता है।

The Appointing Authority reserves the right to cancel the advertisement without providing any reason and may also decide not to fill any or all positions, if necessary.

s. साक्षात्कार की तिथि, स्क्रीनिंग/चयन समितियों की सिफारिशों, उपयोग किए गए मानदंड, तथा इस विज्ञापन से संबंधित कोई

भी अन्य अपडेट, नोटिस, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र केवल सीएसआईआर-सीडीआरआई की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी; इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसआईआर-सीडीआरआई की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

Notifications about the date of the interview, the recommendations of the Screening/Selection Committees, the criteria used, and any further updates, notices, addendum or corrigendum related to this advertisement will be posted solely on the CSIR-CDRI official website. No individual notifications will be sent to candidates; thus the candidates are advised to check the CSIR-CDRI official website regularly.

t. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक निश्चित अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

The selected candidates will be on probation for a specific period from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority. After successful completion of probationary period, they will be considered for confirmation in accordance with the extant rules.

u. जहां पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में एक विशिष्ट क्षेत्र या विषय की आवश्यकता होती है और यदि यह उम्मीदवार की अंकतालिका और/या संबंधित विश्वविद्यालय से डिग्री प्रमाण पत्र से स्पष्ट नहीं होता है, तो उम्मीदवारों को अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज प्रदान करने होंगे, अन्यथा, ऐसे दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

Where a specific area or discipline is required as eligibility criteria for the post and if the same is not evident from the candidate's marks sheet and/or degree certificate from the concerned university, the candidates must provide valid document(s) to substantiate their claims, else, the decision of the Screening Committee regarding the acceptance or rejection of such claims will be final and binding on the candidates.

v. अभ्यर्थियों को यह बताना चाहिए कि क्या सीएसआईआर, सीएसआईआर-सीडीआरआई या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में उनका कोई रक्त संबंधी/निकट संबंधी कार्यरत है अर्थात् सरकारी कर्मचारी के संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन या उनमें से किसी से रक्त संबंध या विवाह से संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों या नहीं [।

Candidates should indicate as to whether any of their blood/close relatives [relation to a Government servant include the wife or husband, son or daughter, parents, brothers or sisters or any person related to any of them by blood or marriage, whether they are dependent on the Government servant or not] is working in CSIR, CSIR-CDRI or any other National Labs/ Institutes/ Units of the CSIR.

w. इस विज्ञापन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की असंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

In the event of any inconsistency between Hindi and English version of this advertisement, the English version shall prevail.

x. किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर उल्लिखित हेल्पडेस्क संपर्क केवल आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने से संबंधित परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए है।

NO INTERIM ENQUIRY OR CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED.

The Helpdesk contact mentioned on the website for online application is for resolution of operational issues related to online submission of application form only.

### 3) आयु सीमा एवं छूट:

#### **Age limit & Relaxations:**

- a. अनुसूचित जाति [एससी] / अनुसूचित जनजाति [एसटी] के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग [ओबीसी (एनसीएल)] के लिए 03 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि लागू सरकारी आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों के संबंध में होगी जहां पद / रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं।

The upper age limit shall be relaxed by 05 years for Scheduled Caste [SC]/ Scheduled Tribe [ST] and 03 years for Other Backward Class [OBC (NCL)], as per Government orders in force, only in respect of those cases where the posts/ vacancies are reserved for respective categories.

- b. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार जो उनके लिए आरक्षित पदों से इतर अर्थात् अनारक्षित (यूआर) पदों के लिए आवेदन करते हैं वे आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होंगे और उनके चयन के संबंध में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के समान माना जाएगा [हालांकि, ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू है]

SC/ST/OBC(NCL) candidates who apply against the posts not reserved for them i.e. Unreserved (UR) posts will not be eligible for age relaxation and they will be treated at par with general candidates in respect of their selection [Application Fee Exemption is, however, applicable for SC and ST candidates in such cases].

- c. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ अपने प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी जैसे कि भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट एसडीओ, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया जाना चाहिए ।

Candidates belonging to the reserved categories of SC/ST/OBC (NCL) must upload a scanned copy of their certificate with their applications. This certificate should be in the prescribed format and issued by the Competent Authority authorized to issue such certificates, such as the SDO, District Magistrate, or Deputy Commissioner, as specified by the Government of India.

- d. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्रों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-क्रीमी लेयर मानदंडों को भी पूरा करना चाहिए, न कि संघ के किसी भी राज्य में नियुक्ति के लिए, जिसमें उन राज्य सरकारों के आदेशों का संदर्भ हो।

SC/ST/OBC certificates should be in the prescribed formats for appointment to posts under the Government of India (GoI). The OBC (Non-Creamy Layer) certificates must also meet the Non- Creamy Layer criteria for appointment to



posts under the Gol as laid down by the Gol and not for appointment in any of the States of Union bearing references to those State Govt. orders.

e. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जातियों के आधार पर होगी, और उनकी उपजाति इस सूची में प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं मानी जाएगी और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारक्षित (यूआर) माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" में ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध रियायतों के हकदार नहीं हैं और उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी होगी।

Eligibility for OBC candidates will be based on castes listed in the Central List of the Government of India, and their sub-caste must match the entries in this list; otherwise, their candidature will not be considered under any reserved category and will be treated as Unreserved (UR), if otherwise eligible. OBC candidates in the "Creamy Layer" are not entitled to concessions available to the OBC category and must indicate their category as General.

f. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) को अपने दावे के समर्थन में एक अतिरिक्त 'घोषणा पत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

The OBC (Non-Creamy Layer) are required to additionally furnish a 'Form of Declaration' supporting their claim that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediate preceding three financial years.

g. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस आदि उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाण पत्र, जब भी पूछा जाए, प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपेक्षित प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। हालांकि, विशिष्ट श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के दावे को इस विषय पर भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

SC/ST/OBC (NCL)/PwBD/EWS etc. candidates are required to present the original certificate in the prescribed format, signed by the specified authority, as and when asked. Candidate must upload scanned copy of the requisite certificate along with online application. However, the claim of the candidate belonging to specific category will be regulated as per extant Gol guidelines on the subject.

h. विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आय सीमा में भी पांच वर्ष तक की छूट दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की आयु छूट सहित अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी प्रकार, ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के लिए 3 वर्ष की आयु छूट सहित अधिकतम 8 वर्ष तक की छूट मिलेगी। यह छूट ऐसे विभागीय उम्मीदवारों को स्वीकार्य होगी, जिन्होंने 3 साल की निरंतर सेवा की है और ऐसे पदों पर काम कर रहे हैं जो समान पंक्ति या संबद्ध कैडर के हैं और जहां यह संबंध स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से की गई सेवा उस पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी, जिस पर भर्ती की जा रही है। इस संबंध में निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी के पास होगा।

Upper age limit is also relaxable upto five years for the departmental candidates. This implies that Scheduled Castes/Schedules Tribes category candidates would get maximum 10 years of age relaxation including 5 years age relaxation meant for their respective categories. Similarly, OBC(NCL) candidates would get maximum upto 8 years including 3 years of age relaxation meant for OBC(NCL) category]. This relaxation will be admissible to such departmental candidates which are with 3 years continuous service and working in posts which are in the same line or allied cadre and where a relation could be established that the service already rendered in that particular post will be useful for the efficient discharge of the duties of the post to which recruitment is being made. The decision in this regard will rest with the appointing authority.

- i. विभागीय उम्मीदवार की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले तथा इस पैरा के तहत आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को अपने नियोक्ता से कार्यालय के लेटर हेड पर विज्ञापन की तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि वह नियमित रूप से नियुक्त है तथा आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध आधार पर कर्मचारी नहीं है।

A candidate claiming to belong to the category of departmental candidate and thus seeking age relaxation under this para would be required to produce a Certificate issued after the date of advertisement from his/her Employer on the Office letter head to the effect that he/she is regularly appointed and not on casual/ad-hoc/daily wages/hourly paid/contract basis employee.

- j. विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी गई है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक ) लेकिन शैक्षिक योग्यता या भर्ती की पद्धति में कोई छूट नहीं दी गई है। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे :

The upper age limit is relaxable up to the age of 35 years for Widows, divorced Women and Women Judicially separated from their Husbands who are not remarried but no relaxation of educational qualification or method of recruitment (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribe candidates in respect of the posts reserved for them). The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce following documentary evidence:

- i. विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा यह शपथ पत्र कि उसने उसके बाद में पुनर्विवाह नहीं किया है।

In case of Widow, Death Certificate of her husband together with the Affidavit that she has not remarried since.

- ii. तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथ पत्र के साथ एवं यह भी कि उन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।

In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands, a certified copy of the judgment/decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an Affidavit in respect of divorced Women and they have not remarried since.

k. आयु में 10 (दस) वर्ष की छूट [इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम 15 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी, जिसमें उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट शामिल है। इसी प्रकार, ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जिसमें ओबीसी श्रेणी के लिए 3 वर्ष की आयु में छूट शामिल है] , ऊपरी आयु सीमा में छूट भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित मानक दिव्यांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाएगी: (i) श्रेणी ए - अंधापन और कम दृष्टि (लो विजन); (ii) श्रेणी बी - बहरापन और कम सुनने की क्षमता (हार्ड ऑफ हियरिंग); (iii) श्रेणी सी- मस्तिष्क पक्षाघात सहित चलने-फिरने में अक्षमता, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्बिकास ; (iv) श्रेणी डी - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी;(v)श्रेणी ई -खंड(ए)से (डी) के अंतर्गत बहरापन/अंधापन सहित बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्ति।

Age relaxation of 10 (Ten) years [This implies that Scheduled Castes/Schedules Tribes category candidates would get maximum 15 years age relaxation including 5 years meant for their respective categories. Similarly, OBC candidates would get maximum upto 13 years including 3 years age relaxation meant for OBC category] in upper age limit shall be allowed to persons suffering from the following benchmark disabilities as per GOI instructions: (i) Category A - blindness and low vision; (ii) Category B - deaf and hard of hearing; (iii) Category C - locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (iv) Category D - autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (v) Category E - multiple disabilities from amongst persons under clauses (A) to (D) including deaf/blindness.

I. दिव्याङ्ग व्यक्तियों को आयु में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद दिव्याङ्ग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद दिव्याङ्गता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त हो।

The age concession to the persons with disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved for person with disabilities or not, provided the post is identified suitable for the relevant category of disability.

नोट: उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्याङ्गताओं की परिभाषा “दिव्याङ्ग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” के अनुसार होगी।

Note: Definition of the above specified disabilities will be as per “THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016”.

इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे, जो प्रासंगिक बेंचमार्क विकलाङ्गता के 40% से कम नहीं हैं। जिन बेंचमार्क दिव्याङ्गता वाले व्यक्तियों (PwBD) ने छूट का लाभ उठाया है, उन्हें “दिव्याङ्ग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017 दिनांक 15.06.2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18(1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्याङ्गता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्याङ्ग व्यक्ति अधिनियम 1995 (अब निरस्त) के तहत जारी दिव्याङ्गता के मौजूदा प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बने रहेंगे। किसी भी मामले में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति सीधे चयन द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक व्यक्तिगत गुप 'ए' पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा फिटनेस के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी। उनके द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।

The persons claiming age relaxation under this sub-para would be eligible for relaxation in conditions/ reservation in posts who suffer from not less than 40% of relevant benchmark disability. Those Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) who have availed the relaxation will have to submit Certificate of Disability issued by the Competent Authority as per the form V, VI and VII of rule 18(1) under chapter 7 of Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 dated 15.06.2017. The existing certificates of disability issued under the Persons with Disabilities Act 1995 (since repealed) shall continue to be valid for the period specified therein. In any case, the appointment of these candidates will be subject to their being found

medically fit in accordance with the standards

of medical fitness as prescribed by the Government for each individual Group 'A' posts to be filled by Direct Recruitment by Selection. No Application Fee is payable by them.

कृपया ध्यान दें, दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन में अपनी जाति/समुदाय जैसे कि एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ जनरल / ईडब्ल्यूएस का उल्लेख करना चाहिए और संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह एक क्षेत्रीय आरक्षण है। दिव्यांग श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वह (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) आवेदन किए गए पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

PLEASE NOTE, PwBD CANDIDATES SHOULD MENTION IN APPLICATIONS, THEIR CASTE/ COMMUNITY LIKE SC/ST/OBC(NCL)/GEN/EWS and also produce Certificate of the concerned Caste/Community, as this is a horizontal reservation. A candidate under the category PwBD will be considered to be eligible for appointment only if he/ she (after such physical examination as the appointing authority may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the applied posts.

- m. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के समय डीओपीटी के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरक्षण) तथा इस संबंध में भारत सरकार के किसी अन्य लागू निर्देश के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की निर्णायक/कट-ऑफ तिथि पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। निर्णायक/कट-ऑफ तिथि के बाद तथा बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

The benefit of reservation under EWS category will be regulated as per DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt.(Res.), dated 31.01.2019 and any other Gol instructions applicable in this regard, at the time of last date of submission of application. Further, the crucial/cut-off date for submitting Income and Asset certificate by the EWS candidate will be the closing date for receipt of application for the post. Income & Asset Certificates issued subsequent to the crucial/cut-off date and for the later Financial Year shall not be accepted.

- n. इसके अलावा, परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त, 2022 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 होगा और प्रमाण पत्र 2022-2023 के लिए वैध होगा।

Further, Family Gross Annual Income shall be computed for the financial year prior to the year of last date of submission of online application. For example, if the closing date for receipt of application for a post is August, 2022, the financial year for computing gross annual income of the family shall be 2021-2022 and the certificate shall be valid for 2022-2023.

o. अन्य कोई भी आयु छूट भारत सरकार/सीएसआईआर भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी।  
Any other Age relaxation shall be applicable as per extant GoI/ CSIR Recruitment Rules.

p. सीएसआईआर के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्व अनुमोदन से असाधारण मेधावी उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित सीमा, शैक्षिक योग्यता और/या अनुभव के अतिरिक्त आयु में छूट पर विचार किया जा सकता है।

Relaxation in age, over and above the stipulated limit, educational qualification and / or experience may be considered in the case of exceptionally meritorious candidates with the prior approval of DG, CSIR as per extant CSIR guidelines.

#### 4) चयन का तरीका:

##### MODE OF SELECTION:

a. केवल निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने से ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी:

Mere fulfilment of prescribed essential educational qualifications does not entitle a candidate to be called for interview. The duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short- listing the candidates to be called for interview by any one or more of the following methods:

o उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।

On the basis of higher educational qualifications.

o संबंधित क्षेत्र में वांछनीय योग्यता और/या वांछनीय अनुभव के आधार पर या विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक योग्यता के आधार पर।

On the basis of Desirable Qualifications and/or Desirable Experience in the relevant field or higher than the minimum prescribed in the advertisement.

o पेटेंट दायर किए जाने, एससीआई/पीयर रिव्यूड जर्नल आदि में प्रकाशनों के आधार पर।

On the basis of patent filed, publications in SCI/ Peer Reviewed journals, etc.

o वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशनों की गुणवत्ता, संख्या और लेखकत्व (अर्थात प्रथम लेखक या सह-लेखक, करेस्पोंडिंग लेखक आदि) के आधार पर।

On the basis of quality, number and authorship (i.e. whether first author or co-author, corresponding author etc.) of Scientific Journal Publications.

o शोध प्रकाशन/पीएचडी थीसिस के विषय से निर्धारित अनुसंधान विशेषज्ञता/पीएचडी विषय/क्षेत्र के आधार पर।

On the basis of research specialization/ Ph. D discipline determined from the topic of research publication/ Ph. D Thesis.

o लिखित परीक्षा/सेमिनार के आधार पर।

On the basis of written test/ seminar.

o आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव की गणना करके।

By counting experience after the acquisition of essential qualifications.

o उन मामलों में भी अनुभव के आधार पर जहां आवश्यक योग्यता (ईक्यू) या वांछनीय योग्यता (डीक्यू) के रूप में कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

By invoking experience even in cases where there is no experience mentioned either as Essential Qualification (EQ) or as Desirable Qualification (DQ).

o स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य पद्धति।

Any other methodology as deemed fit by the Screening Committee.

(अतः अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख दस्तावेजों सहित करना चाहिए।)

(The candidate should therefore mention all qualifications and experience possessed by them in the relevant area over and above the minimum prescribed qualifications, supported with documents).

b. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी नवाचार/ट्रांसलेशनल अनुसंधान/ व्यावहारिक (applied) प्रौद्योगिकी आदि में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उचित महत्व दिया जाएगा। तदनुसार, ऐसी उपलब्धियों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को, यदि कोई हो, तो उन्हें सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में उनका उल्लेख करना होगा।

Due weightage will be given to the candidates having experience in product development/ technology innovation/ translational research/ applied technology etc. during the recruitment process. Accordingly, candidates claiming such achievements, if any, must mention them in the online application along with supporting documents.

## 5) आवेदन कैसे करें:

### HOW TO APPLY:

a. योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट <https://www.cdri.res.in> पर जाकर या <https://cdri.res.in> पर उपलब्ध “वैज्ञानिक भर्ती-09/2024” लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Eligible candidates are required to apply ONLINE by accessing the website <https://www.cdri.res.in> or accessing the link “**SCIENTIST RECRUITMENT- 09/2024\_available on <https://cdri.res.in>**”

b. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध “ऑनलाइन आवेदन कैसे करें” निर्देश, “शुल्क भुगतान प्रक्रिया” और ‘आवेदन प्रतिकृति’ देखें।

For online application process please refer “How-to-apply online” instructions, “Fee Payment Procedure” and ‘Application Replica’ available on the above- mentioned website.

c. आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर तीन अलग-अलग चरणों में प्रस्तुत किया जाना है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- i) पंजीकरण [ऑनलाइन] ii) शुल्क जमा करना [ऑनलाइन], यदि लागू हो। iii) ऑनलाइन आवेदन जमा करना।

The application is to be submitted in three distinct steps within prescribed timeline, as below: -  
i) Registration [online] ii) Fee Submission [online], if applicable. iii) Online application submission.

d. यदि अभ्यर्थी के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनानी चाहिए तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सक्रिय रखना चाहिए।

If the candidate does not have a valid email id, he/she should create a new valid email ID before applying online and should be kept active during the entire recruitment process.

e. आवेदन के उपर्युक्त चरणों की समय-सीमाएं निम्नानुसार हैं: -  
The deadlines for the above-mentioned stages of application are as follows: -

1. ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण/शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि: **06.01.2025 पर 10:00 a.m.**  
**Start Date for Registration/fee submission for Online Application: 06.01.2025 at 10:00 AM.**
  2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: **17.02.2025 पर 11.59 p.m.**  
**Last Date for Submission of Online application: 17.02.2025 at 11.59 PM.**
- f. उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'शुल्क भुगतान प्रक्रिया' के अनुसार 500/- रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला/सीएसआईआर कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/विदेशी उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, बशर्ते कि वे प्रासंगिक/संगत दस्तावेज़ अपलोड करें। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी तरह के रिप्रजेंटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- Candidates are required to pay application fee of Rs.500/- as per 'Fee Payment Procedure' available on the website. No fee is payable, subject to uploading of relevant document, for SC/ST/PwBD/Women/CSIR Employees/Ex-Servicemen/Abroad candidates. Applications without the prescribed fee will not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection would be entertained.
- g. अभ्यर्थी को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर (अधिकतम आकार 50 केबी) तथा संबंधित प्रमाण पत्र (अधिकतम आकार 1 एमबी) ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।
- Candidate is required to upload his/her recent passport size scanned colour photograph, signature each [max size 50 KB] and also relevant certificates [max size 1 MB each] at the specified placed in the online application.
- h. जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकते, और भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भविष्य की परीक्षाओं या चयनों के लिए फीस को आरक्षित नहीं रखा जा सकता।
- Applications submitted cannot be withdrawn, and fees paid are non-refundable under any circumstances. Additionally, fees cannot be held in reserve for future examinations or selections.
- i. यदि बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI ग्रेड आदि प्रदान करता है, तो उम्मीदवार को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके इन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा।

इसके अतिरिक्त, संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा जारी रूपांतरण फॉर्मूले की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ रूपांतरण फॉर्मूला जमा/अपलोड नहीं किया जाता है, तो आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा।

If the Board, University, or Institute awards CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI grades etc., the candidate must convert these into a percentage using the formula provided by the concerned Board /University/Institution. Additionally, copy of the conversion formula issued by concerned Board/University/Institution must be uploaded along with online application. Failure to submit the conversion formula along with the online application form, if applicable, will result in the application being treated as incomplete.

- j. प्रत्येक पोस्टकोड के लिए प्रति उम्मीदवार केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अलग-अलग ईमेल पतों का उपयोग करके एक ही पोस्टकोड के लिए कई ऑनलाइन आवेदन जमा करता है, तो केवल सबसे हाल ही में पूरा किया गया आवेदन ही माना जाएगा। उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन प्रिंट-आउट और किसी भी भुगतान विवरण की एक प्रति रखनी चाहिए, क्योंकि ये आवेदन की समय सीमा के बाद उपलब्ध नहीं होंगे।

Only one application per candidate will be accepted for each postcode. If a candidate submits multiple online applications for the same postcode using different email addresses, only the most recent completed application will be considered. Candidates should retain a copy of the application print-out and any payment details for their records, as these will not be available after the application deadline.

- k. एक उम्मीदवार कई पोस्टकोड के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वे प्रत्येक व्यक्तिगत पोस्टकोड के लिए सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हों। हालाँकि, उम्मीदवार को प्रत्येक पोस्टकोड के लिए अलग से अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ एक अलग आवेदन (प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर) पूरा करना होगा।

A candidate can apply for multiple postcodes, provided they fulfill all eligibility criteria for each individual postcode. However, the candidate must complete a separate application (excluding primary/registration details) along with the requisite application fee separately for each postcode.

- l. उम्मीदवार को अपना नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। एक बार आवेदन पत्र पूरा हो जाने के बाद, उम्मीदवार सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को सत्यापित या संपादित कर सकते हैं कि यह सटीक और पूर्ण है। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद, उम्मीदवार को आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए ड्राफ्ट आवेदन पर 'SUBMIT' पर क्लिक करना होगा और यदि लागू हो तो भुगतान विवरण अपडेट करना होगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, कोई और संशोधन या अमेंडमेंट की अनुमति नहीं होगी। भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट रखना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को जमा करने के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी चाहिए। उनसे उचित समय पर हार्ड कॉपी जमा करने का अनुरोध किया जाएगा।



The candidate must register with their name, email address, and mobile number. After successful registration, the candidate can log in using their credentials to apply through the Online Application Portal. Once the application form is completed, the candidate can upload all relevant supporting documents and verify or edit the application to ensure it is accurate and complete. After finalizing the application, the candidate must click 'Submit' on the draft application and update the payment details, if applicable, to successfully submit the application form. Once the application is submitted, no further modifications or amendments will be permitted. It is important to keep a printout of the completed application form. Candidates should **NOT** send a hard copy of the application after submission. They will be requested to submit a hard copy at the appropriate time.

- m. एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, उसमें परिवर्तन या सुधार करने विषयक किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Once submitted, any request for change or correction in the online application form will not be accepted under any circumstances.

- n. किसी भी फर्जी या जाली (फैब्रीकेटेड) आवेदन या पंजीकरण के मामले में, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम या फोटो का दुरुपयोग किया गया हो, अभ्यर्थी और/या साइबर कैफे उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

In the event of a fake or fabricated application or registration, that misuses the name or photo of any other person, the candidate and/or cyber café will be held accountable for appropriate legal action.

- o. वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों /स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/पीएसयू आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने नियोक्ता से प्राप्त ' **अनापत्ति प्रमाण पत्र** ' (एनओसी) अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन अधूरा माना जाएगा।

Candidates currently working in CSIR/Government Organizations/Autonomous Bodies/Statutory Bodies/Universities/PSU etc., as regular employee, must upload a '**No Objection Certificate**' (NOC) from their employer, along with their online application. Failure to do so will rendered the application as incomplete.

- p. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। इस विज्ञापन से संबंधित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <https://www.cdri.res.in> देखें।

Candidate are advised to check the website regularly. For addendum/corrigendum and updated information regarding this advertisement, please visit our website: <https://www.cdri.res.in>

- q. अभ्यर्थियों को कोई पृथक से व्यक्तिगत सूचना/जानकारी नहीं भेजी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

No separate individual information/intimation shall be sent to the candidates. Therefore, candidates are advised to keep visiting this website regularly.

- r. उम्मीदवारों को अलग से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। सभी सूचनाएं और संचार उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे।

No separate call letters will be mailed to candidates. All notifications and communications will be sent via email provided by the candidate in the application form.

- s. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगी। यदि बाद में किसी भी चरण में प्रस्तुत की गई जानकारी या विवरण गलत पाया जाता है, तो वे अभियोजन और सिविल अंजाम/परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे।

Any information provided by an applicant in their online application form will be binding on the candidate. They will be liable for prosecution and civil consequences if the information or details submitted are found to be false at any later stage.

नोट: आवेदकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन नियम और डिजाइन विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं पर आधारित हैं और इस संबंध में किसी भी रीप्रजेन्टेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवेदन पोर्टल पर "निर्देश" सेक्शन का संदर्भ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि उम्मीदवार विज्ञापन में बताए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। आवेदन बाद की जांच के अधीन हैं और बाद के चरणों में अयोग्यता पाए जाने पर उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। आरक्षित पदों के लिए नियुक्तियाँ अनंतिम होंगी, उचित चैनलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए लंबित होंगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि उम्मीदवार का एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति का दावा गलत या गलत है, तो बिना किसी कारण बताए और आगे की कानूनी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना उनका रोजगार तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।।

Note: Applicants are advised to strictly adhere to the instructions. The information submitted in the online application will be considered as final for further processing. The validation rules and design of the online application are based on the requirements outlined in the advertisement and no representation in this regard will be entertained. Candidates should carefully read the advertisement and refer to the "Instructions" section on the application portal. Submission of an online application does not guarantee that the candidate meets all eligibility criteria stated in the advertisement. Applications are subject to subsequent scrutiny and may be rejected if ineligibility is discovered at later stages. Appointments for reserved positions will be provisional, pending verification of caste certificates through appropriate channels. If verification reveals that a candidate's claim to SC/ST/OBC/EWS/PwBD status is false or incorrect, their employment will be terminated immediately without assigning any reasons and without prejudice to further legal action as deemed fit.

**6) ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए:**

**Following documents must be uploaded along with online application form:**

- a. 500/- रुपये के आवेदन शुल्क के लिए ई-रसीद/लेनदेन संदर्भ की मुद्रित प्रति (जहां लागू हो)।  
The printed copy of e-receipt/ Transaction reference for the application fee of Rs. 500/- (wherever applicable).
- b. नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ उचित स्थान पर अपलोड किया गया हो।

Recent passport size colour photograph uploaded at appropriate place.

- c. उचित स्थान पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपलोड किया गया हो ।

Signature of the candidate uploaded at appropriate place.

- d. नाम और जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष अंकतालिका/जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।

Copy of Matriculation/10th Standard or equivalent marksheet/certificate indicating date of birth or School leaving certificate indicating Date of Birth in support of Name and Date of Birth.

- e. उम्मीदवार/माता-पिता के नाम में परिवर्तन/नाम में विसंगति/नाम में भिन्नता (यदि लागू हो) के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से राजपत्र अधिसूचना/शपथ पत्र की प्रति।

Copy of Gazette Notification/Affidavit from appropriate authority in support of change of name/ mismatch in name/ variation in name of candidate/ parents (if applicable).

- f. आवश्यक योग्यताओं और किसी उच्चतर योग्यता का समर्थन करने वाले शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और/या अंकपत्रों की प्रतिलिपि।

Copy of educational certificate(s) and/or marksheet(s) supporting the essential qualifications and any higher qualifications.

- g. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन जाति प्रमाण पत्र की प्रति, (यदि लागू हो), जिसे भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो,

Copy of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Class/ Economically Weaker Section/ PwBD certificate(s) in the prescribed Government of India (GoI) format issued by the specified authority, if applicable.

- h. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों से 'घोषणा पत्र' की प्रतिलिपि, जिसमें आवेदन में उनके दावे का समर्थन किया गया हो कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

Copy of the 'Form of Declaration' from OBC (Non-Creamy Layer) candidates, supporting their claim in the application that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediate preceding three financial years.

- i. विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं के लिए उचित न्यायालय से प्राप्त निर्णय/डिक्री की प्रति, तलाक या न्यायिक अलगाव की स्थिति सत्यापित करने के लिए आदेश, यदि लागू हो। इसके अतिरिक्त, एक शपथपत्र जिसमें पुष्टि की गई हो कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

Copy of the judgment/decree from the appropriate court of law for widow, divorced, or judicially separated women, to verify the status of divorce or judicial separation, if applicable. Additionally, an affidavit confirming that such candidate has not remarried.

- j. आयु में छूट का दावा करने वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

Copy of the certificate issued by the competent authority in the prescribed format for

- Departmental candidates claiming age concession.
- k. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो। Copy of experience certificate(s), if any.
- l. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) की प्रतिलिपि।  
Copy of the 'No Objection Certificate' (NOC) from the employer for candidates currently working as regular employee in CSIR /Government Organisations /Autonomous Bodies /Statutory Bodies / Universities /PSUs etc.
- m. पीएच.डी. थीसिस/एम.टेक. शोध प्रबंध का एक पृष्ठ का सारांश/सार। One page Synopsis/ Abstract of of Ph.D thesis/ M.Tech dissertation.
- n. एससीआई/समकक्ष समीक्षा पत्रिकाओं आदि में शोध प्रकाशनों की सूची,यदि लागू हो।  
List of research publications in SCI / Peer reviewed journals etc., if applicable.
- o. आवेदन में किए गए दावे(ओं) के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो। Any other relevant certificates in support of the claim(s) made in the application, as applicable.

- नोट 1 : अपलोड किए गए दस्तावेज़/प्रमाणपत्र सुपाठ्य होने चाहिए  
The documents/ certificates uploaded must be legible.
- नोट 2: आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को अपूर्ण मानकर तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।  
Applications without the required document(s) will be considered as incomplete will be summarily rejected.
- नोट 3: अभ्यर्थियों को उचित समय पर मूल दस्तावेज तथा उनकी स्व-सत्यापित फोटोप्रतियां साथ लाने को कहा जाएगा।  
Candidates will be asked to bring the documents in original along with the self- attested photocopies at an appropriate time.
- नोट 4: पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, तथा परीक्षा/सेमिनार/साक्षात्कार/टेस्ट के संचालन से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।  
The decision of the Appointing Authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, and conduct of examination/ seminar/ Interview/ test will be final and binding on the candidates

#### अस्वीकरण/ DISCLAIMER

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामले सामने आने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर द्वारा दिए गए/दिए जाने वाले स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

Instances for providing incorrect information and/or process violation by a candidate detected at any stage of the selection process will lead to disqualification of the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear in any of the Recruitment Process in the future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective effect. Clarifications / decisions given / to be given by the CSIR, regarding process for recruitment shall be final and binding.

**वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/Sr. Controller of Administration**  
**सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ/CSIR-CDRI, Lucknow**

## **प्रमाणपत्रों के प्रारूप/ FORMATS FOR CERTIFICATES:**

1. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।

Format of 'NO OBJECTION CERTIFICATE' from the employer of candidate currently working as regular employee in CSIR/ Government Organisations /Autonomous Bodies /Statutory Bodies/ Universities/ Public Sector Undertakings etc.

2. आयु में छूट का दावा करने के लिए विभागीय उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।  
The Form of Certificate to be produced by Departmental candidates for claiming age concession.
3. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।

The Form of Certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

4. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।

The Form of Certificate to be produced by OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) applying for appointment to posts under the Government of India.

5. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)।

Form of declaration to be submitted by the OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) candidate (in addition to the community certificate).

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

Income & Assets Certificate to be produced by ECONOMICALLY WEAKER SECTION (EWS) candidate.

उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप

वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत।

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं.....

तिथि: [दिन/माह/वर्ष]

विज्ञापन संख्या [विज्ञापन सं.] पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं तथा [कार्यभार ग्रहण दिनांक] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।

इस विभाग/संगठन को विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] दिनांक [विज्ञापन तिथि] के तहत विज्ञापित पद [पोस्ट कोड/पद] के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपर्युक्त रोजगार के लिए विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के तहत किसी शास्ति का सामना नहीं कर रहे हैं और डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, न ही इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण-पत्र उक्त विज्ञापन पर आवेदन करने के प्रयोजनार्थ आवेदक के अनुरोध पर जारी किया जाता है।

स्थान: .....

[विभाग/संगठन का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]

[संपर्क जानकारी]

[विभाग/संगठन का पता]

**FORMAT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' FROM THE EMPLOYER OF CANDIDATE  
CURRENTLY WORKING AS REGULAR EMPLOYEE IN CSIR/ GOVERNMENT ORGANISATIONS  
/AUTONOMOUS BODIES /STATUTORY BODIES/ UNIVERSITIES/ PUBLIC SECTOR  
UNDERTAKINGS etc.**

**(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)**

**No. ....**

**Date:** [DD/MM/YYYY]

**No Objection Certificate for Applying to Advertisement No. [Advertisement Number]**

This is to certify that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee], [Designation], is a permanent/regular employee of this department/organization and has been serving in the capacity of [Current Position] since [Joining Date].

This department/organization has no objection to his/her applying for the position advertised vide Advt. No. [Advertisement Number] dated [Advertisement Date] for the position of [Post Code/Position]. This department/organization has no objection to Dr./Mr./Ms. [Employee's Name] participating in the selection process or being considered for the aforementioned employment in the new position.

It is also certified that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is not currently undergoing any penalties under the applicable conduct rules and Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is neither under suspension, nor any vigilance, disciplinary, or criminal cases is pending against him/her as of the date of issuance of this certificate.

This certificate is issued at the request of the applicant for the purpose of applying to the said advertisement.

**Place:** .....

**For [Name of Department/Organization],**

[Signature of Issuing Authority]  
[Name of Issuing Authority]  
[Designation of Issuing Authority]  
[Official Seal/Stamp]  
[Contact Information]  
[Department/Organization Address]

**आय में छूट का दावा करने के लिए विभागीय उम्मीदवारों और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप**

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं.....

तारीख: [दिन/माह/वर्ष]

**विज्ञापन संख्या के लिए आवेदन करने हेतु आय में छूट का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... (संस्थान का नाम) .....के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं तथा अवधि(ओं) के दौरान उनके द्वारा किए गए कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- (i) .....
- (ii) .....
- (iii) .....

प्रमाणित किया जाता है कि :

\* (क) डॉ./श्री/सुश्री .....(संस्थान का नाम)..... में .....से  
.....तक मूलतः .....का स्थायी पद धारण करते हैं।  
या

\* (ख) डॉ./श्री/सुश्री ..... (संस्थान का नाम) में ..... के पद पर  
..... से ..... तक अस्थायी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत रहे हैं।

\* जो लागू न हो उसे काट दें .

स्थान: .....

[संस्थान का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]



**THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY DEPARTMENTAL CANDIDATES  
EMPLOYEES FOR CLAIMING AGE CONCESSION**

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

No. ....

Date: [DD/MM/YYYY]

**CERTIFICATE FOR CLAIMING AGE CONCESSION FOR APPLYING AGAINST  
ADVERTISEMENT NUMBER**

This is to certify that Dr./Mr./Ms..... S/o/D/o/W/o  
Shri..... is a regularly appointed employee of  
..... (Name of the Institute) and duties performed by him/her during  
the period(s) are as under:

- (iv) .....
- (v) .....
- (vi) .....

Certified that:

\*(a) Dr./Mr./Ms. ....holds substantively a permanent post  
of .....in the.....(Name of the Institute) with effect from  
.....to .....

OR

\*(b) Dr./Mr./Ms.....has been continuously in temporary service on a regular  
basis in the post of ..... at ..... (Name of the Institute) with  
effect from ..... to .....

\* *Strike out which is not applicable.*

Place: .....

**For [Name of the Institute],**

[Signature of Issuing Authority]  
[Name of Issuing Authority]  
[Designation of Issuing Authority]  
[Official Seal/Stamp]

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री\*..... पुत्र/पुत्री\* ..... गांव/शहर\*..... जिला/मंडल\*..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\*..... की  
..... जाति/जनजाति\* से संबंधित है जिसे निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है-

- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 , पूर्वोत्तर क्षेत्र ( पुनर्गठन ) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव ( पुनर्गठन ) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @ संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश , 1959 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) आदेश , 1976 द्वारा यथा संशोधित
- @ संविधान ( दादर और नगर हवेली ii) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @ संविधान ( दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @ , संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश देना, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन और दिल्ली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम वाही करना। 1991
- @ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम , 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती\*.....पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी\*.....के  
गांव/कस्बा\*/क्षेत्र\*\*जिला/मंडल\*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\*.....के जो उस जाति/जनजाति\* से संबंधित हैं जिसे  
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक.....को जारी  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/सुश्री\*.....और/या\* उनका/उनकी\* फैमिली सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* के  
.....जिला/संभाग\* के गांव/कस्बे\*.....में रहती है।

हस्ताक्षर.....  
\*\*पद का नाम.....।

(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\*

स्थान: .....

दिनांक: .....

\* \* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं होता

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द “सामान्यतः निवास करते हैं” का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

\*\*अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/ एडिशनल उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट(सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट)/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)।
- (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हों।
- (iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
- (vii) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी) लक्षद्वीप(

**टिप्पणी:**

तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates  
applying for appointment to posts under the Government of India**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\* ..... Son/daughter\* of  
..... of village/town\* ..... in District/Division\*  
..... of the State/Union Territory\* ..... belongs to the  
..... caste/tribe\* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\*  
under:-

- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

- @ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
- @ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
- @ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another,

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Shrimati\* ..... Father/ Mother of Shri/ Shrimati/ Kumari\* ..... of village/town\*/Territory\*\* ..... in District/ Division\* ..... of the State/ Union Territory\* ..... who belong to the caste/tribe\* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* in the State/Union Territory\* issued by the ..... dated.....

% 3. Shri/Shrimati/Kumari\* .....and/or\* his/her\* family  
ordinarily resides in village/town\* ..... of .....  
District/Division\* of the State/Union Territory\*

Signature.....  
\*\*Designation.....

(With Seal of Office) State/Union Territory\*

Place:.....  
Date:.....

\* Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable

NOTE: The term “ordinarily reside (s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

**Note:**

ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE  
DIVISIONAL OFFICE

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले

**प्रमाण पत्र का प्रारूप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री, गांव/कस्बा, जिला/मंडल, ..... के निवासी हैं और ..... समुदाय से हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ..... दिनांक ..... के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। \* और/या उनका परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ..... जिले/मंडल में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) और दिनांक 27 मई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।\*\*

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
पदनाम \_\_\_\_\_ \$

दिनांक:  
मुहर

\* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई है।

\*\* समय-समय पर संशोधित।

\$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों के समान होगी।

नोट: - यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING  
FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari\_\_\_\_\_son/daughter  
of\_\_\_\_\_village/town\_\_\_\_\_in  
District/Division belongs to the\_\_\_\_\_community which is  
recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and  
Empowerment's Resolution No.\_\_\_\_\_dated  
\_\_\_\_\_\*

and/or his family ordinarily reside(s) in the  
\_\_\_\_\_District/Division of  
the\_\_\_\_\_State/Union Territory. This is also to certify that he/she  
does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to  
the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT)  
dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004- Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-  
Estt. (Res) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013\*\*

Signature\_\_\_\_\_

Designation\_\_\_\_\_§

Dated:  
Seal

\* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

\*\* As amended from time to time.

§ List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र का प्रारूप (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)**

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी गांव/कस्बा/शहर ..... जिला ..... राज्य ..... एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ..... समुदाय से हूं जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 8-9-1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 9 मार्च, 2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और समय-समय पर संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

स्थान: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

पूरा नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_



FORM OF DECLARATION TO BE SUBMITTED BY THE 'OTHER BACKWARD CLASS'  
CANDIDATE (IN ADDITION TO THE COMMUNITY CERTIFICATE)

I \_\_\_\_\_ Son/daughter of  
Shri \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ resident of  
village/town/city \_\_\_\_\_

district \_\_\_\_\_ state \_\_\_\_\_ hereby declare that I belong  
to the

\_\_\_\_\_ community which is recognized as a backward class by  
the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained  
in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36102/22/93-  
Estt.(SCT) dated 8- 9-1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections  
(Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office  
Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004  
and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and as amended time  
to time.

I also declare that the condition of status/annual income for creamy layer of my  
Parents/guardian is within prescribed limits as on last date of application.

Signature \_\_\_\_\_

Full Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## अनुलग्नक - V I

.....सरकार

..... (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र  
प्रमाणपत्र सं..... दिनांक: ...  
.....

वर्ष..... के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
ग्राम/गली,..... डाकघर, .....क्षेत्र ..... पिन कोड ..... का स्थायी निवासी है,  
जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी परिवार की सकल वार्षिक  
आय\* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।

उसके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है\*\*:

- I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/सुश्री..... जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग  
(केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

आवेदक का  
नवीनतम पासपोर्ट  
आकार का  
सत्यापित फोटो

\* नोट 1 : आय में सभी स्रोत शामिल थे, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेंशन आदि।

\*\*नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता

और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।  
\*\*\*नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

**Annexure - VI**

**Government of**

..... (Name &  
Address of the authority issuing the  
certificate) **INCOME & ASSEST CERTIFICATE**  
**TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY**  
**WEAKER SECTIONS**

**Certificate**

**No.....**

**Date:.....**

.....

**VALID FOR THE YEAR.....**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari..... son/ daughter/  
wife of

..... permanent resident of,  
..... Villa

ge/ Street,  
Post Office, Territory..... Pin Code..... whose photograph is  
attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of  
his/her family\*\*is below Rs. 8 lakhs (Rupees Eight Lakh only) for the financial  
year

.....  
His/her

family does not own or possess any of the following assets\*\*:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above
- III. Residential plot of 100 Sq. Yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari..... belongs to the..... caste  
which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward  
Classes (Central List).

**Signature with seal of Office.....**

Name.....

.....

Designation.....

.....

Recent  
passport size  
attested  
photograph of  
the applicant

**Note 1 :** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**\*\*Note 2 :** The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

**\*\*\*Note 3 :** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.